



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219182
CG-DL-E-27042020-219182

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]
No. 1200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1344(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर-उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा सेक्सन) जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344 दिया गया है, के 22.000 कि.मी. से 70.890 कि.मी. तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की

सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 22.000 कि.मी. से 70.890 कि.मी. तक (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर-उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा सेक्सन) (पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: सहारनपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नकुड़					
गांव का नाम: नसीरपुरा					
1	195	निजी(निजी)	कृषि	0.1870000(हेक्टेयर)	0.1870000
2	196	निजी(निजी)	कृषि	0.0936000(हेक्टेयर)	0.0936000
तालुक का नाम: सहारनपुर					
गांव का नाम: बड़कला					
1	173	निजी(निजी)	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
2	182	निजी(निजी)	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	285	निजी(निजी)	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: बेलडाजुनारदार अ0					
1	105	निजी(कृषि)	कृषि	0.0810000(हेक्टेयर)	0.0810000
गांव का नाम: फिरोजपुर मु0					
1	72	निजी(निजी)	कृषि	0.0644000(हेक्टेयर)	0.0644000
गांव का नाम: कांकर कुई					
1	412	निजी(निजी)	कृषि	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
गांव का नाम: खजूरी अकबरपुर मु0					
1	478	निजी(निजी)	कृषि	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
2	479	निजी(निजी)	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	481	निजी(निजी)	कृषि	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000

गांव का नाम: कृष्णी					
1	32	निजी(निजी)	कृषि	0.0191000(हेक्टेयर)	0.0191000
2	64	निजी(निजी)	कृषि	0.0305000(हेक्टेयर)	0.0305000
गांव का नाम: लतीफ पुर अह0					
1	115	निजी(निजी)	कृषि	0.0188000(हेक्टेयर)	0.0188000
गांव का नाम: मुबारकपुर					
1	342	निजी(निजी)	कृषि	0.0098000(हेक्टेयर)	0.0098000
गांव का नाम: पठेहड					
1	42/2	निजी(निजी)	कृषि	0.0096000(हेक्टेयर)	0.0096000
गांव का नाम: शाहजहाँपुर					
1	18	निजी(निजी)	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.7263	0.7263

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1344(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.73 (Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) renamed as NH-344 on the stretch from Km 22.000 to Km 70.890 in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act. Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Saharanpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from NH73 in the stretch of land from Km 22.000 to Km 70.890 (Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) of the National Highway No.73 (renamed as NH-344) in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH		District: SAHARANPUR			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nakud					
Village: Nasirpura					
1	195	Private	Agriculture	0.1870000(Hectare)	0.1870000
2	196	Private	Agriculture	0.0936000(Hectare)	0.0936000
Taluk: Saharanpur					
Village: Badkala					
1	173	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
2	182	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	285	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Village: Belda Junnar Dar Ahtmal					
1	105	Private	Agriculture	0.0810000(Hectare)	0.0810000
Village: Firojpur Mu.					
1	72	Private	Agriculture	0.0644000(Hectare)	0.0644000
Village: Kankar Kui					
1	412	Private	Agriculture	0.0450000(Hectare)	0.0450000
Village: Khajuri Akbarpur M.					
1	478	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
2	479	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	481	Private	Agriculture	0.0075000(Hectare)	0.0075000
Village: Krishani					
1	32	Private	Agriculture	0.0191000(Hectare)	0.0191000
2	64	Private	Agriculture	0.0305000(Hectare)	0.0305000
Village: Latif Pur Ahatamal					
1	115	Private	Agriculture	0.0188000(Hectare)	0.0188000
Village: Mubarakpur					
1	342	Private	Agriculture	0.0098000(Hectare)	0.0098000
Village: Pathehad					
1	42/2	Private	Agriculture	0.0096000(Hectare)	0.0096000
Village: Shahjahapur					
1	18	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.7263	0.7263

[F.No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.